रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28 2002/भाद्र 6, 1924

No. 772] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2002/BHADRA 6, 1924

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2002

का.आ. 918(अ).—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के खण्ड 3 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद-II (केवल खण्ड 7) के उपबन्ध सार्वभौम पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) और उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर निम्नलिखित संशोधनों के अधीन यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, नामत: :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, जब कभी "संयुक्त राष्ट्र" शब्द अनुच्छेद-II के खण्ड 7 में आएंगे उसके स्थान पर "सार्वभौम पर्यावरण सुविधा" शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे।

[फा. सं. यू आई/451/05/2000]

दीपा गोपालन वाधवा, संयुक्त सचिव (यू एन ई एस)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2002

S.O. 918(E).—In pursuance of Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Article II (Section 7 only) of the Schedule to the said Act shall apply *mutatis mutandis* to the Global Environment Facility (GEF) and to its representatives and officers subject to the following modifications, namely :—

In the Schedule of the said Act, for the words "The United Nations" wherever they occur in section 7 of Article II the words "Global Environment Facility" shall be substituted.

[F. No. UI/451/05/2000]

DEEPA GOPALAN WADHWA, Jt. Secy. (UNES)

2706 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.